उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 1748/VII-1/2018/29 रिट/12
देहरादून, दिनांकः 22-नवम्बर 2018

कार्यालय ज्ञाप

जनपद बागेश्वर, तहसील कपकोट के ग्राम बैड़ा मझेड़ा में सोपस्टोन का खनन पट्टा चाहने श्रीमती कुन्ती परिहार पत्नी श्री जवाहर सिंह परिहार, ग्राम व पोस्ट असों, तहसील कपकोट, बागेश्वर के आवेदन पत्र दिनांक 8.10.2015 के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1107/VII-1/29–रिट/2012, दिनांक 21 जुलाई, 2016 द्वारा श्रीमती कुन्ती परिहार पत्नी श्री जवाहर सिंह परिहार, ग्राम व पोस्ट असों, तहसील कपकोट, बागेश्वर के पक्ष में जनपद बागेश्वर, तहसील कपकोट के ग्राम बैड़ा मझेड़ा में 5.570 है० भूमि में 50 वर्ष की अवधि हेतु सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु आशय पत्र स्वीकृत किया गया।

कार्यालय ज्ञाप संख्या–1748/VII-1/2018/29 रिट/12, दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 के क्रम में श्रीमती कुन्ती परिहार पत्नी श्री जवाहर सिंह परिहार, ग्राम व पोस्ट असों, तहसील कपकोट, बागेश्वर के पक्ष में जनपद बागेश्वर, तहसील कपकोट के ग्राम बैड़ा मझेड़ा में 5.570 है० भूमि पर सोपस्टोन के खनन पट्टा हेतु शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.7.2016 द्वारा स्वीकृत आशय पत्र की अनुपालना पर्यावरणीय अनुमति सहित किये जाने के फलस्वरूप जनपद बागेश्वर, तहसील कपकोट के ग्राम बैड़ा मझेड़ा में 5.570 है० भूमि में उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 यथासंशोधित, 2017 के प्रावधानानुसार सोपस्टोन का 50 (पचास) वर्ष की अवधि का खनन पट्टा निम्नवत् स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है :–

1	उपखनिज का नाम	सोपस्टोन
2	क्षेत्रफल	जनपद बागेश्वर, तहसील कपकोट के ग्राम बैड़ा मझेड़ा में श्रेणी 1क की 3.196 है०, श्रेणी 4 की 1.009 है०, सार्वजनिक उपयोग की 0.064 है०, राज्य सरकार की 1.301 है० भूमि कुल 5.570 है० एक संहत खण्ड में खसरा विवरण पत्र एवं मानचित्र के अनुसार उपलब्ध क्षेत्र का भूमि पर वास्तविक सीमाबन्धन खेतवार एवं खसरावार क्षेत्र के आधार पर निर्धारित।
3	अवधि	खनन पट्टा के पंजीयन की तिथि से 50 वर्ष
4	अपरिहार्य भाटक	उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के द्वितीय अनुसूची एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
5	स्वामित्व (रायल्टी)	उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के प्रथम अनुसूची एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
6	अन्य कर	राजकीय नियमानुसार

अतिरिक्त शर्तेः

7.1. शासनादेश के दिनांक से छः माह के भीतर समुचित पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है तो शासनादेश बिना किसी पूर्व सूचना के ही आवेदन शुल्क जब्त करते हुये प्रतिसंहृत कर दिया जायेगा।

7.2 वन विषयक यदि स्वीकृत क्षेत्र का कोई भाग वन भूमि में पाया जाता हो या घोषित होता है, पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार वन भूमि पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

7.3. पट्टाधारक को खनन के दौरान विलेख की शर्तो/खनन नियमों/शासनादेशों/स्थानीय आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

7.4. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सार्वजनिक उपयोग की भूमि 0.064 है० में खनन कार्य निषिद्ध रहेगा।

7.5. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले वृक्षों की सुरक्षा का दायित्व आवेदिका का होगा एवं खनन कार्य से वृक्षों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

7.6. पट्टाधारक को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, प्रभाव निर्धारण डिवीजन, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पर्यावरण अनुमति संख्या–J-11015/204/2016-IA-II(M), दिनांक 1 फरवरी, 2017 के निर्देशों/समस्त शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

7.7. पट्टाधारक द्वारा अपरिहार्य भाटक की देयता पट्टा विलेख के दिनांक से देय होगी।

7.8. पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य का प्रारम्भ संबंधित भू–स्वामियों की सहमति/अनापत्ति के उपरान्त ही किया जायेगा।

7.9. स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य किये जाने से पूर्व उत्तरांखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

बृजेश कुमार संत
अपर सचिव

संख्याः 1748 (1)/VII-1/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. श्रीमती कुन्ती परिहार पत्नी श्री जवाहर सिंह परिहार, ग्राम व पोस्ट असों, तहसील कपकोट, बागेश्वर को उक्तानुसार खनन पट्टा विलेख निष्पादन हेतु नियमानुसार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के माध्यम से प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव